कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद–मैनपुरी।

संख्या C-316/जि0का0अधि0/आ0बा0स्था0/विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक 09 जुलाई, 2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत संचालित 10 बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु निदेशालय स्तर से विकसित किये गये विभागीय पोर्टल upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विकासखण्ड/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कार्यकत्री के रिक्त पदों का आरक्षण			कुल योग	सहायिका के रिक्त पदों का आरक्षण			कुल योग
		UR	OBC	SC/ST		UR	OBC	SC/ST	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बरनाहल	0	0	2	2	1	5	3	9
2	बेवर	8	6	2	16	8	1	4	13
3	जागीर	4	2	0	6	1	1	0	2
4	घिरोर	1	2	3	6	2	1	2	5
5	करहल	10	3	2	15	5	2	6	13
6	किशनी	1	4	2	7	2	3	1	6
7	कुरावली	4	2	0	6	0	1	1	2
8	मैनपुरी शहर	6	0	2	8	7	3	0	10
9	मैनपुरी देहात	1	0	2	3	2	1	2	5
10	सुल्तानगंज	3	1	1	5	3	2	0	5
योग		38	20	16	74	31	20	19	70

1. ऑगनबाडी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पद हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडियट या उसके समकक्ष होगी। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
2. ऑगनबाडी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी (आयु के सम्बन्ध में कटऑफ डेट 01.07.2026 के आधार पर होगी)। हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा/नगरीय क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के न मिलने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला का चयन किया जायेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता क्रम में ही गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिला को वरीयता दी जायेगी।
4. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।
5. **चयन की कार्यवाही हेतु वरीयता क्रम का फ्लो चार्ट निम्नवत् होगा:–**
   (i) गरीबी रेखा से नीचे की (BPL)→विधवा→विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता→अन्य बी0पी0एल0 महिला
   (ii) गरीबी रेखा से ऊपर की (APL)→विधवा→विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता→अन्य ए0पी0एल0 महिला
6. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।

7. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।

8. आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरें जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाएगी। जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

9. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2026 से प्रारम्भ होकर अन्तिम तिथि दिनांक 30.07.2026 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।

10. रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय बेवसाइट upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है।

नोटः–रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

09.07.26

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
जनपद–मैनपुरी।

(विज्ञापन के लिये नहीं)

पृष्ठांकन संख्या C–316 **/तद्दिनांक।**
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी/चयन समिति अध्यक्ष महोदया को सूचनार्थ।
4. जिला सूचना अधिकारी मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति को शासकीय दरों पर एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद मैनपुरी।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद–मैनपुरी।
7. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जनपद–मैनपुरी।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद–मैनपुरी।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद–मैनपुरी।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
जनपद–मैनपुरी।